निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 147 / 2024
दायरा दिनांकः—28.10.2024
निर्णय दिनांकः— 23. 4.25

उनवान

1. मनीष आयु 25 वर्ष पुत्र माधोलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम सोलतपुरा हाल निवासी आनन्द विहार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. गोविन्दलाल पुत्र अमरा जाति बैरवा निवासी हनुवतखेडा
3. पंसुरी बाई पत्नि अमरा जाति बैरवा निवासी हनुवतखेडा
4. मूर्तिबाई पुत्री अमरा जाति बैरवा निवासी हनुवतखेडा
5. मोहनलाल पुत्र अमरा जाति बैरवा निवासी ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,188,आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 23.4.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री सोमेश गालव — प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,88,89,90,188 आर0टी0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया है कि वाके माल हनुवतखेडा पटवार मण्डल चांचोडा तहसील छबडा में वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 24 में खसरा नम्बर 259 / 2 रकबा 0.8852 है0 खसरा नम्बर 259 / 4 रकबा 0.4806 है0 खसरा नम्बर 259 / 5 रकबा 0.6323 है0 कुल किता 3 तादादी 1.9981 हैक्टयर भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण 2 ता 5 के शामलाती खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड जमावंदी चली आ रही है। जिस पर वादी एव प्रतिवादीगण 2 ता 5 अपने अपने हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्वक बिना किसी बांधा व्यवधान के काश्त करते चले आ रहे है। वाद पत्र की मद नम्बर 1 वर्णित आराजी वादी द्वारा गोविन्दलाल पुत्र अमरा से उसके हिस्से का 1 / 2 भाग खरीदा गया जो नामान्तरण नम्बर 951 दिनांक 06 / 08 / 2018 से वादी के नाम दर्ज रिकार्ड जमावंदी हुई थी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

तब से वादी एंव प्रतिवादीगण 2 ता 5 अपने अपने हिस्से की आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है। वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी पर खातेदारान के नाम के साथ रिज्यूम एंव माफीयात रिज्यूमेशन दर्ज होने से खातेदारान को दान, रहन, बेचान नामान्तरकरण एंव राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा जारी योजनाओ का लाभ नहीं ले पा रही है। जो कि एक खातेदार को कानूनी अधिकार है। जिस कारण वादी को अपने खाते मे रिज्यूम एंव माफियात, रिज्यूमेशन हटाकर खातेदार घोषित करवाने का अधिकार है। वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी मे वादी के नाम के साथ रिज्यूम एंव माफीयात रिज्यूमेशन हटवाने बाबत राजस्व कर्मचारियो से दिनांक 20/10/2024 को सम्पर्क किया गया तो उनके द्वारा राजस्व न्यायालय मे वाद पेश करने की सलाह दी गई। वाद पत्र मे प्रतिवादी कम 2 ता 5 को फोरमल पक्षकार बनाया गया है जिनसे इस वाद मे कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी पर वादी के नाम के साथ रिज्यूम एंव माफीयात रिज्यमेशन दर्ज है जिसे वादी खातेदार दर्ज करवाने का अधिकारी है। वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी के लेण्ड होल्डर प्रतिवादी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब छबडा होने से वाद पत्र में पक्षकार बनाए गये है जिन्हें 80 सी०पी०सी० का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तु वादी की आराजी पर वादी के नाम के साथ रिज्यूम एंव माफीयात रिज्यूमेशन दर्ज होने से के. सी.सी. रिन्यू दान, रहन, बेचान नामान्तरकरण नही होने के कारण वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस दिये बिना 80 (2) सी०पी०सी० के प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी पर वादी ने दिनांक 20/10/2024 को राजस्व कर्मचारियो से रिज्यूम, माफियात रिज्यूमेशन हटाने हेतु सम्पर्क किया तब उन्होने सम्माननीय न्यायालय मे वाद पेश करने की सलाह दी। लिहाजा यही तिथी विनाय मुखास्मत करार दी जाती है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब/ रिपोर्ट प्राप्त हुई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 24 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 253 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 246 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2066–69 खाता संख्या 247 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2062–65 खाता संख्या 233 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2058–61 खाता संख्या 135 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2054–57 खाता संख्या 198 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2046–49 खाता संख्या 178 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2042–45 खाता संख्या 182 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा खाता संख्या 176 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2028–32 खाता संख्या 107 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2025–28 खाता संख्या 107 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2021–24 खाता संख्या 103 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2017–20 खाता संख्या 107 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2013–16 खाता संख्या 97 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2012 पेश की गई। साक्ष्य वादी मे PW1 मनीष के बयान करायें गयें।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबडा में अंकित स्थित है। जो वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 के शामलाती खातेदारी में चली आ रही है वादी एवं प्रतिवादी अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त है वादी ने गोविन्दलाल पुत्र अमरा से हिस्सा 1/2 खरीदा था जो नामान्तरण संख्या 951 दिनांक 06.08.2018 से वादी के नाम दर्ज हुई। तब से वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 अपने-अपने हिस्से की आराजी पर काश्त करतें चले आ रहे है उक्त आराजी पर खातेदारान के नाम के साथ रिज्यूमशन दर्ज होने से खातेदारान को दान रहन, बेचान करतें में परेशानी आ रही। तथा राज्य सरकार से मिलने वाले योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है वादी अभिभाषक ने जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आर0टी0एक्ट की धारा 15 का उद्धरण करते हुए निवेदन किया की वादी विधिक खातेदार कृषक है वादी के खाते से रिज्यूमशन हटाया जाना अति आवश्यक है वादी का वाद स्वीकार किया जावें।

तहसीलदार छबडा से इसके सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम हनुवतखेडा कि वर्तमान जमाबन्दी संख्या 24 खसरा नम्बर 259/2 रकबा 0.8852 है0 खसरा नम्बर 259/4 रकबा 0.4806 है0 खसरा नम्बर 259/5 रकबा 0.6323 है0 कुल किता रकबा 1.9981 है0 भूमि में हिस्सा 1/8 वादी का दर्ज है जिसमें वादी द्वारा भूमि क्रय करने से लेकर वर्तमान तक कब्जे काश्त में चली आ रही है जो सही है वादी द्वारा उक्त आराजी भूमि विक्रेता गोविन्द पुत्र अमरा जाति बैरवा के नामान्तरण संख्या 951 दिनांक 06.08.2018 से क्रय की गई थी तब से वादी अपने हिस्से पर काश्त करतें आ रहे है जो सही है वादी की आराजी पर वर्तमान में रिज्यूमशन (माफियात) दर्ज है जिस कारण वादी भूमि को बेचान, दान, रहन, नही कर सकता है वादी की भूमि का सेटलमेन्ट जमाबन्दी 2012 से वर्तमान तक का राजस्व रिकार्ड की जांच की गयी जिसमें पाया कि जमाबन्दी सेटलमेन्ट से लेकर वर्तमान जमाबन्दी तक वादी के आगे रिज्यूमशन (माफियात) ऋण दर्ज है खातेदारों के हित में उक्त आराजी से नियमानुसार माफियात रिज्यूमशन हटाया जाना उचित होगा।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2074-77 खाता संख्या 24 में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 के शामलाती खातेदारी में नाम दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 253 में रिज्यूमशन गोविन्दलाल, मोहनलाल पुत्र अमरा, मूर्तिबाई पुत्री अमरा पंसुरी बाई बेवा अमरा जाति बैरवा के नाम दर्ज रिकार्ड है जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11 से 17 मे नामान्तरण संख्या 951 दिनांक 06.08.2018 से जर्ये बैनामा रजिस्टर से गोविन्दलाल के हिस्से 1/4 में से 1/8 हिस्सा क्रेता मनीष बैरवा पुत्र माधोलाल जाति बैरवा निवासी आनन्द विहार छबडा के नाम खाता दर्ज करने का नोट अंकित है इससे यह साबित होता है कि वादी द्वारा खातेदार गोविन्दलाल से 1/8 हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदा था। जिसका नामान्तरण संख्या

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

951 दिनांक 06.08.2018 खोला जाकर तस्दीक किया गया। विवादित आराजी सम्वत् 2012 से 2054–2057 तक की जमाबन्दी में रिज्यूमशन दर्ज नही था जमाबन्दी सम्वत् 2058– आज तक रिज्यूमशन दर्ज चला आ रहा है सम्वत् 2075–78 तक उक्त खातेदारान के मध्य भूमि का बेचान। स्थानान्तरण हुआ है अर्थात् उक्त भूमि का माफि रिज्यूमशन में दर्ज खातेदारों के द्वारा विधिक बेचान/हस्तान्तरण हुआ है एवं इसी आधार पर नामान्तरण दर्ज हुआ है परन्तु वर्तमान में नामान्तरण की प्रक्रिया ऑन लाईन होने के कारण नामान्तरण खोलने की समस्या आ रही है एवं रिकार्ड दुरूस्त नही हो पा रहा है तथा फार्मर आई.डी नही बन पा रही है।

इस वाद को निर्णित करने हेतु यहां जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आ0टी0एक्ट की धारा 15 विचारणीय है :–

<u>जागीरदारी एक्ट की धारा–9 :–</u> "जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार,पट्टेदार,खादिमदार के रूप में या की अन्य रूप में जिसमें यहां अन्तहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवंशिक और पूर्ण अन्त के अधिकार प्राप्त है,दर्ज है। ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगें और वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा "

<u>आ0टी0एक्ट की धारा–15 :–</u> प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय भूमि के शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी के अलावा अन्य प्रकार का आसामी हो या जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 101 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन तथा उनके अनुसरण में भूमि का आवंटिती के अतिरिक्त आसामी की हैसियत से प्रविष्ट कर लिया जाय अथवा जो इस अधिनियम के या राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिज्युमशन ऑफ जागीर्स एक्ट 1952 (राज. एक्ट 6, सन् 1952) के अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के उपबन्धों के अनुसरण में भूमि खातेदारी अधिकार अर्जित करता है खातेदार आसामी होगा, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहतें हुए इस अधिनियम द्वारा खातेदार आसामी को प्रदत्त समस्त अधिकारों का हकदार होगा तथा आरोपित समस्त दायित्वों के अधीन रहेगा।

उपरोक्त के क्रम में ,इस प्रकरण में वादी पूर्व में खातेदार था तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादी का लगातार कब्जा काश्त रहा है। तथा माफी रिज्यूम होने से वादी को किसी प्रकार का ऋण आदि का लाभ नही मिल पा रहा है जिससें वादी को समस्याओं का सामना करना पड रहा है। अतः जमाबन्दी से माफी रिज्युमशन हटाया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उप[illegible]ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 259/2 रकबा 0.8852 है0 खसरा नम्बर 259/4 रकबा 0.4806 है0 खसरा नम्बर 259/5 रकबा 0.6323 है0 भूमि से वादी के नाम से माफियात रिज्यूमशन शब्द को हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 147/2024	धारा 88, 89, 90, 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 23.04.2025
समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री सोमेश गालव वादी		अभिभाषक प्रतिवादीः–

वाद शीर्षक

उनवान

1. मनीष आयु 25 वर्ष पुत्र माधोलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम सोलतपुरा हाल निवासी आनन्द विहार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. गोविन्दलाल पुत्र अमरा जाति बैरवा निवासी हनुवतखेडा
3. पंसुरी बाई पत्नि अमरा जाति बैरवा निवासी हनुवतखेडा
4. मूर्तिबाई पुत्री अमरा जाति बैरवा निवासी हनुवतखेडा
5. मोहनलाल पुत्र अमरा जाति बैरवा निवासी ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 259/2 रकबा 0.8852 है0 खसरा नम्बर 259/4 रकबा 0.4806 है0 खसरा नम्बर 259/5 रकबा 0.6323 है0 भूमि से वादी के नाम से माफियात रिज्यूमशन शब्द को हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 23.04.2025 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		